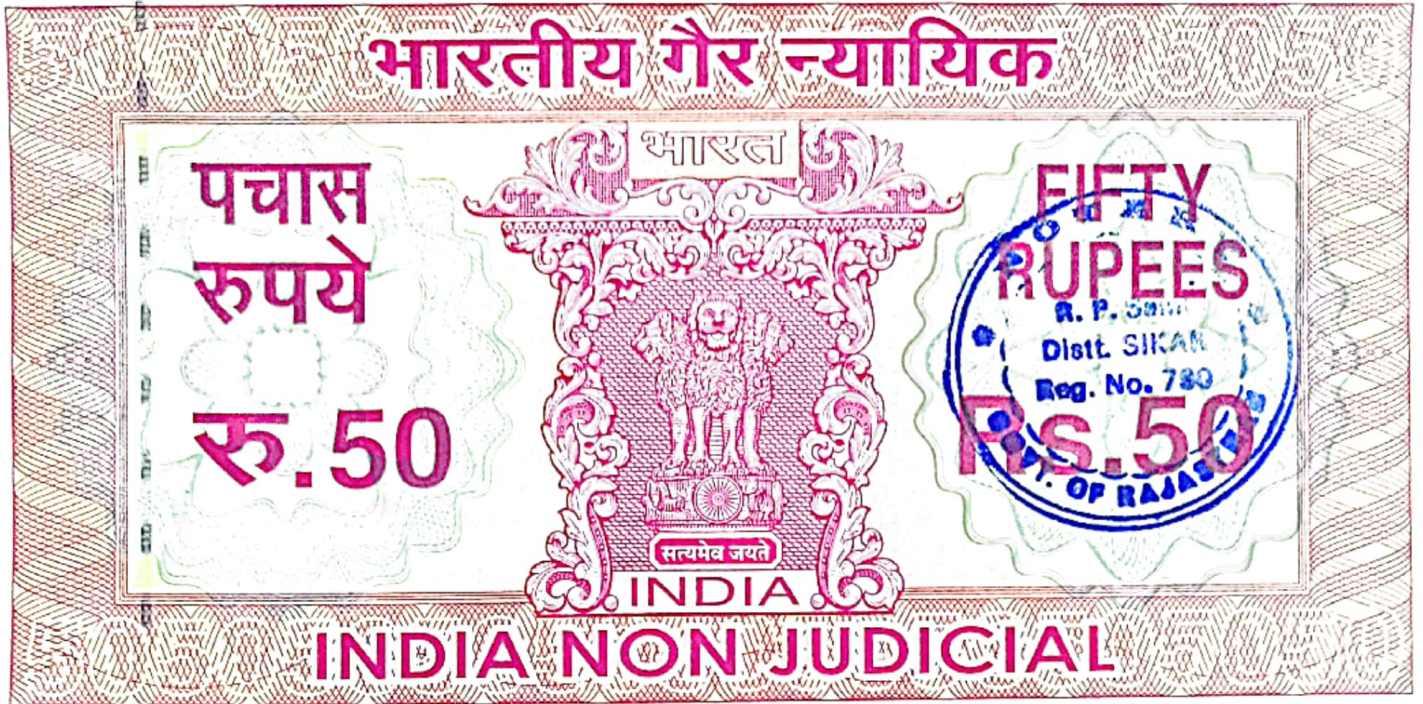




राजस्थान RAJASTHAN

BU 391393

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is being made and executed on this 10th day of January 2024 at Sikar.

BETWEEN

1. Mr. Sultan Singh S/o Bhanwar Singh, Bhanwar Singh Patwari Ki Dhani, Kudli, Sikar, Rajasthan-332024 hereinafter referred to as the 'Owner' [which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include its legal successor(s), administrators, executors and permitted assignee(s)] of the **First Part**;

2. Sita Ram S/o Poora Ram, via Katrathal, Kudli, Sikar, Rajasthan - 332024 hereinafter referred to as the 'Owner' [which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include its legal successor(s), administrators, executors and permitted assignee(s)] of the **Second Part**;

Whereas the above referred parties Jointly owned a piece of Land "**SHRIRAM NAGAR PHASE 3 RESIDENTIAL SCHEME**" admeasuring 8268.00 Square Meters Situated at Khasta No. 1408/1326 Near Ramkori Residency, Sikar Revenue Village- Kudli, District- Sikar, (Raj.)

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
SIKAR (Rajasthan)

10 JAN 2024

SR NO

20066

DATE 10/01/2024 SULTAN SINGH S/O BHANWAR SINGH R/O BHANWAR SINGH
PATWARI KI DHANI POST KUDLI SIKAR DIST. SIKAR RAJ

गौरव जांगिड पुत्र श्री मनोज जांगिड
स्टाम्प विक्रेता अनुक्र. पत्र सं. 14/19-20
मुद्रांक विक्रय स्थल: कार्ट पविलियन, सीकर
स्थायी पता: सीकर - 331001, सीकर
भारतीय डाक पोस्टाफिस 331001



1. The project "**SHRIRAM NAGAR PHASE 3 RESIDENTIAL SCHEME**" Situated at Khasra No. 1408/1326 Near Ramkori Residency, Sikar Revenue Village- Kudli, District- Sikar, (Raj.) shall be jointly developed by all the parties.
2. The Marketing and selling of the project shall be carried out by all the Parties.
3. That party to the First part shall act as a Promoter and remaining all the parties shall act as the other promoter in the above referred project land "**SHRIRAM NAGAR PHASE 3 RESIDENTIAL SCHEME**".
4. That all the Rights and liabilities as imposed by the RERA Act shall be executed jointly by all the parties.
5. The designated separate bank account shall be opened in the name of Mr. Sultan Singh as provided in sub-clause (D) of clause (I) of sub-section (2) of section 4 of the RERA Act, 2016.
6. All the receipts/losses from the booking and sale of units in the project "**SHRIRAM NAGAR PHASE 3 RESIDENTIAL SCHEME**" shall be shared between the parties in the ratio of their ownership. Profit and Loss Ratio: Sultan Singh 80.86 % and Sita Ram 19.14 %.
7. That, if any contradiction arises or any loss or damage to any allottee arises in any manner in the future, then all the parties jointly takes responsibility to compensate for the same.

SULTAN SINGH

SITA RAM

IDENTIFIED BY 12

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
SIKAR (Rajasthan)

10 JAN 2024

Fee Receipt

Print Date

08-01-2024 4:35 PM

From Year 2012 To Year 2024

Mode of Payment (# Mode Number Amount #)

Registration Receipt RJ1345320031282 7 650

Signature of presenter or applicant, for
copy of Search certificate

Casper

SUB-REGISTRAR

Vinay Prakash Chotia

Advocate (Rajasthan High Court)
Chamber No. 27, Lawyers Chambers,
Court Campus, Sikar (Raj.)- 332001
Reg. No. R/2165/2002
Tel. 9413701033, 8118849493



Office/Residence:

W.No. 39, House No. 1000
Behind Railway Guest House
Choudhary Colony, Sikar (Raj.)
Email : vinayprakash03@yahoo.co.in
vinayprakashchotia@gmail.com

Sr.No.

Date 02/01/24

Ref. No.- 891/ADV/Shri Ram Nagar-3/08.01.2024

To,

Registrar (RERA),
2nd and 3rd Floor, RSIC Building,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,
Jaipur Rajasthan.

Sub:- Title search report of Residential Property Project "Shri Ram Nagar-3 Aawasiya Yojana" for Registration Certificate of Project under RERA, ACT, 2016 in respect of Residential converted land Khasara No. 1408/1326 Rakba 0.8340 Hectare; Total Rakba 8340 Sq. Meter; Land Situated at Revenue Village Kudli, Patwar Halka Kudli, Tehsil Sikar and District Sikar Rajasthan belongs to Khatedar 1. Mr. Sultan Singh s/o Mr. Bhanwar Singh, 2. Mr. Sita Ram s/o Mr. Poora Ram; Residential Land presently belongs to Nagar Sudhar Nyas, Sikar in Ger Mumkin Aawasiya.

Brief history of title:-

Initially Khata No. 327, Khasara No. 1408/1326 Rakba 0.8340 Hectare (133/695 Share Sita Ram and 562/695 Share Sultan Singh), Land Situated at Revenue Village Kudli, Patwar Halka Kudli, Tehsil Sikar and District Sikar Rajasthan. According to Jamabandi Samwat 2075-78, above mentioned khasara land belongs to Khatedar 1. Mr. Sultan Singh s/o Mr. Bhanwar Singh, 2. Mr. Sita Ram s/o Mr. Poora Ram; Khasara Land Situated at Revenue Village Kudli, Patwar Halka Kudli, Tehsil Sikar and District Sikar Rajasthan.

Thereafter they decided to develop a residential colony in their land and then applied for conversion of land (Khasara No. 1408/1326 Rakba 0.8340 Hectare) under jurisdiction in the office of Nagar Sudhar Nyas Sikar Rajasthan by submitting all previous title documents/Jamabandi.

Thereafter, the office of Nagar Sudhar Nyas Sikar Rajasthan converted the use of land from (Khasara No. 1408/1326 Rakba 0.8340 Hectare) agricultural to Non Agricultural Residential purpose under section 90(A) Rajasthan Land Revenue Act, 1956; vide order No.- LU/2012/SIK/2023-24/100419, Dated 21.12.2023 and thereafter, mutation filled in favour of Nagar Sudhar Nyas, Sikar Rajasthan; and above mentioned Khasara No.1408/1326 Rakba 0.8340 Hectare changed into New Khasara No. 1408/1326 Rakba 0.8340 Hectare in Ger Mumkin Residential Purpose in the name of UIT Sikar Rajasthan.

Thereafter, they applied to the office of Nagar Sudhar Nyas, Sikar Rajasthan for approval of project site plan at above mentioned converted land Scheme "Shri Ram Nagar-3 Aawasiya Yojana" at Village Kudli, District Sikar.

Then, Office of Nagar Sudhar Nyas, Sikar approved the project site map of this land scheme "Shri Ram Nagar-3 Aawasiya Yojana" vide letter No.-

VINAY
PRAKASH

Digitally signed by
VINAY PRAKASH
Date: 2024.01.09
19:58:14 +05'30'

Counsel :- Bank of Baroda, Axis Bank, Canara Bank, Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Central Bank of India, India Overseas Bank, Bank of Maharashtra

Vinay Prakash Chotia

Advocate (Rajasthan High Court)
Chamber No. 27, Lawyers Chambers,
Court Campus, Sikar (Raj.)- 332001
Reg. No. R/2165/2002
Tel. 9413701033, 8118849493



Office/Residence:

W.No. 39, House No. 1000
Behind Railway Guest House
Choudhary Colony, Sikar (Raj.)
Email : vinayprakash03@yahoo.co.in
vinayprakashchotia@gmail.com

Sr.No.

Date 03.01.24

NagarVikasNyas/Niyaman/2023/66-67, Dated 08.01.2024 under term and condition of Township Policy 2010.

1. Mr. Sultan Singh s/o Mr. Bhanwar Singh, 2. Mr. Sita Ram s/o Mr. Poora Ram are absolute owner of the said residential converted land as per the records available and presently above mentioned land is in the name of Nagar Sudhar Nyas, Sikar in Ger Mumkin Aawasiya.

I, further certify that 1. Mr. Sultan Singh s/o Mr. Bhanwar Singh, 2. Mr. Sita Ram s/o Mr. Poora Ram has/have a valid and marketable title/right in the property and land is free from any encumbrances, charges, lien and attachment.

Online Search receipt enclosed, Document Sr. No.- 202402327000629, Dated 08.01.2024 at Sub Registrar Sikar herewith for ready reference.

VINAY PRAKASH CHOTIA
Panel Advocate

VINAY
PRAKASH

Digitally signed
by VINAY
PRAKASH
Date: 2024.01.09
19:58:41 +05'30'



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कुड़ली
पटवार हल्का :- कुड़ली
भू अंश नि. :- कुड़ली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 327
खाता संख्या पुराना :- 323

काश्तकार का नाम:-

1. सुल्तान सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा- 562/695 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2. सीताराम पुत्र पूराराम हिस्सा- 133/695 जाति- जाट सा. देह खातेदार.

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई के साधन संदत्त लगान	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1408/1326	0.8340	चाही । 0.3836		स्वीकृत नामान्तरकरण : 1918 07/08/2023 विभाजन	
		जाव । 0.4504			
कुल खसरे - 1	0.8340	0.8340			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 9-Aug-2023



P-35 अंश 3

44
09/8/2023

09/8/2023

प्रमुखी

N
↓
S

आंशिक नक्शा क्षेत्र
ग्राम - कुसली
तहसील - सीकर
पिन - 2036

		1408	15/1
		1326	
1325	13	1408/1326	15/2
14			
		1329	16
		8	

प्रमाणित प्रतिलिपि
44
P.35 - 09.08.2023
09.08.2023
प्रमाणित कुसली
09.08.2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांक: LU2012/SIK/2023-24/100419

दिनांक: 22/09/2023

लोक सूचना

श्री SULTAN SINGH पुत्र श्री BHANWAR SINGH जाति JAT निवासी PATWARI KI DHANI, VILLAGE - KUDLI, DIST. SIKAR (RAJ.)

श्री SITARAM पुत्र श्री POORA RAM जाति JAT निवासी VILLAGE KDULI, VIA KATRATHAL, TEH. AND DISTRICT SIKAR (RAJ.)

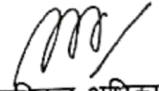
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	कुडली, सीकर (सीकर)	1. SULTAN SINGH S/O BHANWAR SINGH 2. SITARAM S/O POORA RAM	1408/1326	8340	0.834
कुल					0.834

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22-09-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, सीकर

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सीकर

मामला सं.- LU2012/SIK/2023-24/100419

1. सुल्तान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति जाट निवासी कुड़ली सीकर।
2. सीताराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी कुड़ली सीकर।

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने वावत।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

तहसील एवं जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
तह. सीकर व जिला सीकर	कुड़ली	1408/1326	0.8340 है.

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है/करवा लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना के अन्तर्गत है। आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क, 91 और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कुड़ली तहसील सीकर के खसरा नम्बर 1408/1326 रकबा 0.8340 है। भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावे और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि/नियमों/विनियमों/उप-विधि के अनुसार, आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्याधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निर्बंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर से आज दिनांक 21.12.2023 को आदेश जारी किया गया।

मनमोहन मीणा (RAS)

प्राधिकृत अधिकारी एवं
सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

दिनांक:- 21/12/23

क्रमांक:- नविन्या/नियमन/2023/2448-2453

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिशाषी अभियंता/उप नगर नियोजक कार्यालय हाजा।
2. तहसीलदार, तह. सीकर को भेजकर लेख है कि उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में नगर विकास न्यास सीकर के नाम दर्ज कर इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरकर्ता को जमाबन्दी की प्रति प्रेषित करें।
3. सुल्तान सिंह पुत्र भंवर सिंह व सीताराम पुत्र पूराराम समस्त जाति जाट निवासी सीकर।
4. नियमन शाखा/राजस्व शाखा कार्यालय हाजा।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
सचिव नगर विकास न्यास, सीकर



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कुडली
पटवार हल्का :- कुडली
भू.अभि.नि. :- कुडली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 255
खाता संख्या पुराना :- 0

काश्तकार का नाम:-

1. नगर विकास न्यास सीकर (LR act 1956 की धारा 90 B एवं 90 A से प्राप्त भूमियां) हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1010/91	0.1400	गै.मु. आवासीय	0.1400		स्वीकृत नामांतरकरण : 1597 18/02/2020न्याया. आदेश	
1011/91	0.1500	गै.मु.आवासीय	0.1500		स्वीकृत नामांतरकरण : 1611 13/05/2020न्याया. आदेश	
106	0.7600	गै.मु. आवासीय	0.7600		स्वीकृत नामांतरकरण : 1613 11/06/2020न्याया. आदेश	
1078/91	0.0800	गै.मु. आवासीय	0.0800		स्वीकृत नामांतरकरण : 1680 16/03/2021न्याया. आदेश	
1094/31	0.2050	गै.मु. आवासीय	0.2050		स्वीकृत नामांतरकरण : 1716 08/09/2021न्याया. आदेश	
1150/169	0.6045	गै.मु. आवासीय	0.6045		स्वीकृत नामांतरकरण : 1726 27/10/2021न्याया. आदेश	
1153/169	0.2455	गै.मु.आवादी	0.2455		स्वीकृत नामांतरकरण : 1734 17/12/2021न्याया. आदेश	
1180/5	0.3500	गै.मु.शैक्षणिक संस्थान	0.3500		स्वीकृत नामांतरकरण : 1737 24/12/2021न्याया. आदेश	
1182/5	0.1500	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1500		स्वीकृत नामांतरकरण : 1742 13/01/2022न्याया. आदेश	
1186/6	0.1400	गै.मु. आवासीय	0.1400		स्वीकृत नामांतरकरण : 1748 25/01/2022न्याया. आदेश	
1187/6	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		स्वीकृत नामांतरकरण : 1750 17/02/2022न्याया. आदेश	
1202/113	0.2148	गै.मु. आवासीय	0.2148		स्वीकृत नामांतरकरण : 1775 18/04/2022न्याया. आदेश	
125	0.0500	गै.मु. आवासीय	0.0500		स्वीकृत नामांतरकरण : 1822 30/08/2022न्याया. आदेश	
126	0.0900	गै.मु. आवासीय	0.0900		स्वीकृत नामांतरकरण : 1883 19/04/2023न्याया. आदेश	
127	1.1400	गै.मु.आवासीय	1.1400		स्वीकृत नामांतरकरण : 1908 14/07/2023न्याया. आदेश	
1292/94	0.3200	गै.मु.आवासीय	0.3200		स्वीकृत नामांतरकरण : 1937 25/10/2023न्याया. आदेश	
1293/94	0.3200	गै.मु.आवासीय	0.3200		स्वीकृत नामांतरकरण : 1947 22/12/2023न्याया. आदेश	
1302/964	0.1330	गै.मु.पेट्रोल पम्प	0.1330			
131	0.0500	गै.मु. आवासीय	0.0500			
डाणी						
132	0.0400	गै.मु.आवासीय	0.0400			
133	0.0500	गै.मु.आवासीय	0.0500			
1338/1307	0.0625	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0625			
1342/351	0.0410	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0410			



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कुडली
पटवार हल्का :- कुडली
भू.अभि.नि. :- कुडली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 255
खाता संख्या पुराना :- 0

1346/1341	0.8660	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.8660
1348/1344	0.0924	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0924
135	0.0900	गै.मु.आवासीय	0.0900
136	0.2300	गै.मु. आवासीय	0.2300
1367/1298	0.0483	गै.मु.आवासीय	0.0483
1374/1317	0.1507	गै.मु.आवासीय	0.1507
1375/1317	0.1793	गै.मु. आवासीय	0.1793
1376/1369	0.0367	गै.मु. आवासीय	0.0367
1377/1369	0.0372	गै.मु. आवासीय	0.0372
1381/1324	0.1971	गै.मु. आवासीय	0.1971
1382/1324	0.0250	गै.मु.आवासीय	0.0250
1383/1330	0.3900	गै.मु. आवासीय	0.3900
1384/1330	0.2050	गै.मु. आवासीय	0.2050
1399/1156	0.1866	गै.मु.आवासीय	0.1866
1408/1326	0.8340	गै.मु.आवासीय	0.8340
153/1	0.0400	गै.मु. आवासीय	0.0400
155/2	0.0400	गै.मु. आवासीय	0.0400
155/3	0.0600	गै.मु. आवासीय	0.0600
169/3	0.4900	गै.मु. आवासीय	0.4900
33	0.3000	गै.मु.आवासीय	0.3000
40	0.3000	गै.मु. आवासीय	0.3000
406	0.1400	गै.मु. आवासीय	0.1400
आवादी			
408	0.0500	गै.मु.आवादी	0.0500
आवादी			
41	0.0400	गै.मु.चाह	0.0400
415	0.1300	गै.मु. आवासीय	0.1300
बाड़ा			
416	0.2600	गै.मु. आवासीय	0.2600
45	0.1100	गै.मु. आवासीय	0.1100
47	0.0200	गै.मु. आवासीय	0.0200
52	0.1300	गै.मु.आवासीय	0.1300
53	0.2200	गै.मु. आवासीय	0.2200
54/1	0.0500	गै.मु. आवासीय	0.0500
54/2	0.0400	गै.मु.आवासीय	0.0400
54/3	0.0400	गै.मु.आवासीय	0.0400
57	0.2300	गै.मु.आवासीय	0.2300
797/39	0.2124	गै.मु. आवासीय	0.2124
80	0.7700	गै.मु. आवासीय	0.7700
81	0.1500	गै.मु. आवासीय	0.1500
85	0.1500	गै.मु.आवासीय	0.1500

चा.न.
409



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कुडली
पटवार हल्का :- कुडली
भू.अभि.नि. :- कुडली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) में म्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 255
खाता संख्या पुराना :- 0

906/91	0.1000	गै.मु. आवासीय	0.1000
910/91	0.3500	गै.मु. आवासीय	0.3500
911/91	0.3500	गै.मु. आवासीय	0.3500
913/32	1.7200	गै.मु. आवासीय	1.7200
914/32	1.7200	गै.मु. आवासीय	1.7200
963/105	0.4200	गै.मु. आवासीय	0.4200
कुल खसरे - 67		17.5770	17.5770

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 8-Jan-2024

